# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :-श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 - 115/17

अनवान : -

1. संदीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादीगण

वकील श्री राजेन्द्र कालीरावण : प्रतिवादी सं0 1

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.4850 है0 खसरा सं0 213 की 3.9580 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0, खसरा सं0 529 की 2.0870 है0 खसरा सं0 539 की 2.6430 है0 खसरा सं0 625/215 है0 की 3.2880 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.3910 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल क्षेत्रफल 39.266 है0 बारानी खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी कृष्ण के नाम 2726-1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ-साथ वादीगण का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण उपर वर्णित कृषि भूमि अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। उक्त कृषि भूमि हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी के साथ वादीगण संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने दावा की सभी मदों को स्वीकार करते जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने भी जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 1 ने कथन किया कि वादीगण उक्त कृषि भूमि को वादी संदीप कुमार 1/18–1/18, वादी पवन कुमार 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी कृष्ण कुमार 1/18 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मिन प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज व आपत्ती नहीं है।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 153/231 में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जो सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2068 से 71 की प्रस्तुत की है उसमें वाद भूमि वादीगण के दादा राजकरण वल्द काना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वादीगण ने जो वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें कृष्ण कुमार के मौजूदा वारिसान में पत्नि विमलादेवी व दो पुत्र संदीप कुमार व पवन कुमार होना अंकित है एवं वादीगण के दावा का कोई खण्डन भी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.4850 है0 खसरा सं0 213 की 3.9580 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0, खसरा सं0 529 की 2.0870 है0 खसरा सं0 539 की 2.6430 है0 खसरा सं0 625/215 है0 की 3.2880 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.3910 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल क्षेत्रफल 39.266 है0 बारानी खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी कृष्ण के नाम 2726–1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर 1/18–1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर 1/18–1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

### पीठासीन अधिकारी :-श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

**मि0न0 - 115/17**

**अनवान :** -

1. संदीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

**- वादीगण**

**बनाम**

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री राजेन्द्र कालीरावण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने व वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 153/231 के खसरा सं0 23 की 8.4850 है0 खसरा सं0 213 की 3.9580 है0 खसरा सं0 294 की 17.414 है0, खसरा सं0 529 की 2.0870 है0 खसरा सं0 539 की 2.6430 है0 खसरा सं0 625/215 है0 की 3.2880 है0 खसरा सं0 652/19 की 1.3910 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल क्षेत्रफल 39.266 है0 बारानी खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी कृष्ण के नाम 2726-1/4 हिस्सा में 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर 1/18-1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर 1/18-1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़